न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः– 130/2013 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2013/00014), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

सोहनलाल पुत्र करन सिंह(नवासा पूरन मृत) जाति जाट नि0 नगला जनूथर तहसील जनूथर

–वादी

बनाम

1. मुस0 मुथरी बेवा सोहनलाल(पुत्री पूरना) जाति जाट नि0 खेडा मैदा, तहसील कठूमर(अलवर)

–असल प्रति0

2. बदले पुत्र हीरालाल(नवीरा रामप्रसाद)
3. फत्ते
4. रामस्वरूप } पुत्रगण सोनपाल
5. अमर सिंह
6. श्यामलाल } पुत्रगण किशन
7. रामलाल
8. नत्थी सिंह पुत्र फत्ते सिंह
9. बदन सिंह पुत्र दुलीचन्द उर्फ दुलिया
10. सूरजमल पुत्र धांधू
11. करन पुत्र सुक्कन
12. सूखा पुत्र दूल्हेराम
13. किशन पुत्र सोनपाल
14. राधे सिंह पुत्र मोहनलाल
15. खरग सिंह पुत्र पूरन
16. पॉच्या – तर्क
17. सुघड सिंह
18. हुकम सिंह } पुत्रगण प्यारे
19. फूल सिंह
20. करन सिंह
21. खैमी पुत्र कल्लू
22. विद्या
23. सुन्हैरा } पुत्रियां सोनी
24. बृजमोहन पुत्र हुकम सिंह
25. धर्मवीर पुत्र नत्थी सिंह

जातियान जाट नि0 नगला जनूथर तहसील जनूथर

–फौरमल प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय **दिनांकः 24.03.2025**

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 154/0.25, 117/0.39, 131/0.23, 170/0.12, 171/0.04, 172/0.10, 173/0.05, 225/0.10, 148/0.32, 179/0.06, 182/0.13, 197/0.32, 202/0.38, 157/0.37, 205/0.58,वाके ग्राम नगला जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। खसरा नम्बर 154 में पूरना मृतक वाहिस्सा 1/3 व खसरा नम्बर 157 में 1/10 व खसर नम्बर 205 में 1/5 रहा है तथा शेष आराजी में 1/4 हिस्सा रहा है। वादी का खास नाना पूरना था जिसके कोई लडका नहीं था केवल दो पुत्रियां थी जो चमेली व मुस0 मुथरी थी। चमेली वडी थी जिसका वादी पुत्र है। दोनों पुत्रियां करन सिंह व मोहनलाल नि0 खेडा मैदा तहसील कठूमर जिला अलवर को व्याही थी वह दोनों भी खास भाई थे जो मर चुके है। पूरना ने अपने जीवनकाल मे अपनी वडी पुत्री चमेली को दामाद सहित सम्बत 2010 में ही ग्राम नगला जनूथर में बुला लिया था और अपनी समस्त आराजी सदा के लिए काश्त करने के लिए बता दी तथा मकान आदि में वादी की मॉ को ही देदिया था तब से वादी की मॉ व बाप आराजी मुत0 को काश्त करने लग गये तथा लगान के बदले में पूरना की सेवा व खाना आदि देते रहे, वादी ग्राम नगला जनूथर में ही पैदा हुआ है। पूरना करीव 40 साल पहले फौत हो गया तथा चमेली माता वादी भी करीव 12 साल पहले मर गई है वादी अपनी माता का अकेला पुत्र है। इस प्रकार वादी अपनी मॉ चमेली के अधिकारों के तहत आराजी मुत0 का खातेदार काश्तकार है। मुत0 मुथरी प्रति0 संख्या 1 के हक में पूरना की समस्त जायदाद का दाखिल खारिज गलत तरीके पर दर्ज हो गया है। जबकि वादी की मॉ चमेली व वादी का हक समस्त आराजी में है। मुत0 मुथरी प्रति0 संख्या 1 का कोई हक नहीं है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 154 में 1/3 हिस्सा व खसरा नम्बर 157 में 1/10 हिस्सा व खसरा नम्बर 205 में 1/5 हिस्सा व शेष आराजी में 1/4 हिस्से का वादी को मुत0 मुथरी प्रति0 संख्या 1 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा मुत0 मुथरी के नाम के इन्द्राज कलमजन किये जाने के आदेश फरमायें। उक्त दावे को दिनांक 31.08.2007 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा रिकार्ड से सावित नहीं होने पर खारिज किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2007 के विरूद्व पक्षकारान के द्वारा श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर न्यायालय में अपील पेश की गई।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 05.06.2013 के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.06.2013 में अंकित किया है कि "अपीलाण्ट से उपरोक्त बिन्दुओं पर साक्ष्य लेकर पुनः गुणाव गुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।"

वकील पक्षकार की बहस दिनांक 27.01.2025 को सुनी गई। वहस के दौरान वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 05.06.2013 में वर्णित निर्देशों की पालना में वादी के द्वारा नामा0 संख्या 484 दिनांक 22.03.96 की प्रमाणित नकल पेश की गई अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वादी दावा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सिद्व करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में हम दावा वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादी का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग

Scanned with OKEN Scanner